

परिवहन विभाग,
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

पत्रांक सीएसयू/टी0ओ-540-541

/2018

दिनांक: फरवरी 03, 2018

प्रभारी अधिकारी एरिस सेल विभाग,
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
कानपुर।

महोदय,


विश्वविद्यालय के अन्तर्गत भारत सरकार नई दिल्ली/प्रदेश सरकार की संचालित विभिन्न योजनाओं/विश्वविद्यालय के प्रशासनिक, विधिक कार्यों से देश/प्रदेश के विभिन्न जनपदों/शासन एवं मा0 उच्च न्यायालय तथा मा0 उच्चतम न्यायालय जाने हेतु विश्वविद्यालय के अधिकारियों/वैज्ञानिकों/शिक्षकों को विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यों हेतु वाहन बाजार से किराये पर लिये जाने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके सम्बन्ध में मा0 कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 23.12.2017 को अर्थनियंत्रक महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें उक्त कार्य हेतु स्थानीय बाजार की पंजीकृत ट्रेवल एजेंसियों से दरें एवं शर्तें प्राप्त करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया, जिसके अनुसार स्थानीय बाजार की चार फर्मों से दरें प्राप्त कर पत्रावली न्यूनतम दर अनुमोदन हेतु अर्थ नियंत्रक कार्यालय में प्रस्तुत की गई थी, अर्थ- नियंत्रक कार्यालय द्वारा पत्रावली इस आशय से विभाग को वापस कर दी गई कि प्राप्त दरों में से दो फर्मों ही जीएसटी में पंजीकृत हैं तुलनात्मक दरों के आंकलन हेतु कम से कम तीन फर्म जीएसटी0 में पंजीकृत होना अनिवार्य है। अतएवं उक्त के सन्दर्भ में सूचना पुनः विश्वविद्यालय वेबसाईड पर प्रकाशित करा कर जीएसटी में पंजीकृत फर्मों से दरें प्राप्त किए जाने के निर्देश प्रदान किए हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि दिनांक 30.01.2018 को अर्थ नियंत्रक महोदय द्वारा उक्त पत्रावली पर दिए गये निर्देश के अनुपालन में जीएसटी0 में पंजीकृत फर्मों से निम्नलिखित वाहनों की दरें एवं शर्तें दिनांक 20.02.2018 तक बन्द लिफाफे में परिवहन विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु सूचना विश्वविद्यालय वेबसाईड पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें, जिससे उपरोक्त कार्य समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कर दरें अनुमोदित कराई जा सकें।

1. इण्डिका,
2. इण्डिगो
3. हाण्डा सिटी
4. बोलैरो
5. इनोवा
6. तवेरा
7. स्विफ्ट डिजायर
8. माखति वैन (ओमिनी)
9. बस 55 सीटर
10. वेनार मिनीबस


(योगेन्द्र श्रीवास्तव)
सहायक अभियन्ता

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्त।
प्रतिलिपि: कुलपति के तकनीकी सचिव को मा0 कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।


(योगेन्द्र श्रीवास्तव)
सहायक अभियन्ता

Sri Vivek

dy
3/2/18